न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर जिला जयपुर

अपील संख्याः 25 / 2020

GCMS No.—2020/00093

1. हनीफा कुरैशी पत्नि स्व. अशफाक अहमद उम्र 44 वर्ष
2. शैफाली कुरैशी पुत्री स्व. अशफाक अहमद उम्र 20 वर्ष
3. आफताब कुरैशी पुत्र स्व. अशफाक अहमद उम्र 17 वर्ष नाबालिक माता हनीफा कुरैशी पत्नि स्व. अशफाक अहमद
4. आशफा कुरैशी पुत्री स्व. अशफाक अहमद उम्र 17 वर्ष नाबालिक माता हनीफा कुरैशी पत्नि स्व. अशफाक अहमद

समस्त जातियान मुसलमान निवासीयान 807, मोहन दास की बगीची, एम.डी. रोड जयपुर वार्ड नंबर 65 जयपुर जिला जयपुर।

...अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. शमशाद परवीन कुरैशी तलाकशुदा पत्नि स्व. अशफाक अहमद उम्र 48 वर्ष
3. अरशद अहमद कुरैशी पुत्र स्व. अशफाक अहमद कुरैशी उम्र 31 वर्ष
4. मुस्कान परवीन पुत्री स्व. अशफाक अहमद उम्र 20 वर्ष
   जाति मुसलमान निवासी प्लाट नंबर 125, नूरानी मस्जिद के पास, पेन्टर कॉलोनी, नाहरी का नाका, शास्त्री नगर, जयपुर जिला जयपुर।
5. शाहीन परवीन पुत्री स्व. अशफाक अहमद पत्नि मुद्दसर उम्र 32 वर्ष जाति मुसलमान निवासी प्लाट नंबर 14, किदवई नगर, ईमली फाटक जयपुर जिला जयपुर।

अपील अर्न्तगत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध निर्णय तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नामान्तकरण संख्या 622 दिनांक 30.07.2020 को स्वीकृत किया गया के विरूद्ध

———————

उपस्थितः–

1. श्री रामकरण शर्मा अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. श्री प्रहलाद रावत पैरोकार सरकार रेस्पा0 संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 28.12.2022

अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार जमवारामगढ के निर्णय दिनांक 30.07.2020 जिससे नामान्तरकरण संख्या 622 वाके ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ स्वीकार किया गया से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.09.2020 को इस न्यायालय में धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस रेस्पाडेन्ट्स जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार श्री प्रहलाद रावत उपस्थित आये। शेष रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 को रजि0 नोटिस जारी किये गये थे बावजूद सूचना शेष रेस्पा0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। मूल नामान्तकरण प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम सायपुर तहसील जमवारामगढ स्थित खसरा नंबर 298 रकबा 0.31 है0 एवं खसरा नंबर 183 रकबा 1.35 है0 अपीलाधीन भूमि के हकाधिकारी अशफाक अहमद की खातेदारी में थी जिनकी मृत्यु दिनांक 18.04.2020 को हो गयी। अशफाक अहमद ने दो शादी कर रखी थी जिसमें पहली पत्नि रेस्पा0 संख्या 2 एवं रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 5 पहली पत्नि शमशाद के पुत्र– पुत्रियां है। अपीलांट के पति अशफाक अहमद की मृत्यु हो जाने पर अशफाक अहमद की उपरोक्त भूमियों को रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 ने अकेले हडपने की नियत से बिना वारिसानों की जांच किये ही पटवारी हल्का सायपुरा ने तहसीलदार जयपुर की जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 622 अशफाक की पहली पत्नि व उसके वारिसो के नाम तस्दीक कर दिया एवं अपीलांट को सुनवाई अवसर नहीं दिया। जबकि अपीलांट ने दिनांक 08.07.2020 को सभी वारिसो के नाम नामान्तकरण खोलने हेतु मय मृत्यु प्रमाण पत्र पटवारी अनिल शर्मा को दिया जिसको नजरअंदाज करते हुए पटवारी हल्का ने अपीलाधीन नामान्तकरण भर दिया जिसे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 30.07.2020 को तस्दीक कर दिया। अपीलांट्स के हक अधिकार अशफाक अहमद की खातेदारी भूमि में निहित होते हुए भी अपीलांट्स को अशफाक की विरासत से वंचित कर दिया गया। तहसीलदार जयपुर के पटवारी हल्का द्वारा प्लाट नंबर 125 नाहरी का नाका, शास्त्री नगर जयपुर पर जाना व मौके पर उपस्थित लोगो से पूछताछ करने की रिपोर्ट पेश की गयी है जबकि प्लाट नंबर 125 में रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 निवास नहीं करते है, प्लाट नंबर 125 में अशफाक अहमद के भाई परिवार सहित निवास करते है, जिनके भी जांच रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं है एवं ना ही उनके किसी प्रकार के बयान लिये गये है। अपीलांट को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 06.08.2020 को होने पर नामान्तकरण संख्या 622 की नकल दिनांक 24.08.2020 को पटवारी हल्का से बमुश्किल नकल प्राप्त की एवं अविलम्ब माननीय न्यायालय में अपील पेश की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा आदेश दिनांक 30.07.2020 द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 622 वाके ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ को निरस्त फरमाये जाने की कृपा करें।

विद्वान पैरोकार सरकार की दलील है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण तहसीलदार जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2020 के आधार पर तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने में कोई त्रुटि नहीं की है इसलिए अपील खारिज की जावे।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

विद्वान उपस्थित अभिभाषक अपीलांट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अपील अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। पत्रावली पर उपलब्ध मूल नामान्तरकरण संख्या 622 वाके ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलाधीन भूमि

का नामान्तकरण तहसीलदार जयपुर की रिपोर्ट दिनांक 22.07.2020 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 29.07.2020 को भरा गया। जिसे तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पटवारी हल्का एवं गिरदावर रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 30.07.2020 स्वीकार किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का मुख्य कथन है कि स्व. अशफाक अहमद के अपीलांट संख्या 1 व रेस्पा0 संख्या 2 दो पत्नियां थी एवं अपीलांट संख्या 1 स्व. अशफाक अहमद की दूसरी पत्नि थी एवं अपीलांट संख्या 1 व स्व. अशफाक के अपीलांट संख्या 2 लगायात 4 पुत्र पुत्रियां है। इसलिए स्व. अशफाक की खातेदारी भूमि में उनके भी हक अधिकार निहित थे जबकि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा स्व. अशफाक अहमद की पहली पत्नि रेस्पा0 संख्या 2 एवं उनके पुत्र–पुत्रीयां रेस्पा0 संख्या 2 लगायत 5 के नाम ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपने कथनो के समर्थन में अपीलांट संख्या 1 का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, चीफ काजी राजस्थान जयपुर सिटी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र एवं अपीलांट संख्या 2 व 3 के पासपोर्ट की छायाप्रतियां पेश की गयी। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट्स भी स्व. अशफाक की दूसरी पत्नी एवं उनके बच्चे है जिनका स्व. अशफाक की अपीलाधीन भूमि में हक अधिकार है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जमवारामगढ ने अपीलांट द्वारा दिनांक 08.07.2020 को प्रार्थना पत्र पटवारी हल्का के समक्ष पेश किये जाने के बावजूद बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक किया जाना प्रतीत होता है। जिससे जाहिर होता है कि तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा नियमानुसार स्व. अशफाक अहमद के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गयी जो विधिक प्रावधानो के अनुसार उचित नहीं है।

फलस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, जमवारामगढ का आदेश दिनांक 30.07.2020 बाबत नामान्तरकरण संख्या 622 वाके ग्राम सायपुरा, तहसील जमवारामगढ निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, जमवारामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित **(Remand)** किया जाता है कि वह उभय पक्षकारान को विधिवत, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर, विधिक प्रावधानो के अनुसार गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार जमवारामगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर